

बनाम सत्यार्थ  
नं. 212 RTA नं. 21751 2018 सन्


हुकम या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

8-5-18

आज यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी ने मूलवाद के साथ पेश किया है। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र एवं बहस एकपक्षीय वकील प्रार्थीगण पर गौर करने से प्रथम दृष्टया में केस व सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अप्रार्थी सं० 1 को आगामी तिथि 7.06.2018 तक जर्ये एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी ख० नं० 864 रकबा 0.01, 865 रकबा 0.55 हैक्ट० वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार का सडक/ रोड निर्माण नही करे, एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि० हो। अप्रार्थीगण को जर्ये रजि० ए०डी० तलबी से तलब कर दिनांक 7.06.2018 को पेश हो।

  
उप खण्ड अधिकारी  
रामगढ (अलवर)

7-6-18 काल पत्रांक 11-लाय का प्रदे  
हाए 2018 को प्रदे करे, काला अडा  
के जेश डुडी काडी कडुण मोके  
पर प कवी 035 का विमान हजे  
पर मूलदाका रजापि हजे यु कोड  
कालि: प्रपत्र भी रिजि० विजा  
जाता है पत्रांक 11 लाय का प्रदे  
होकर डालिज देपता है



